न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, पीलीभीत।

दाण्डिक वाद सं0—719/2017

सरकार बनाम भानुवती आदि।

धारा 498ए,323,504,506/34,427भा0दं0सं0 व
धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0
थाना बीसलपुर, पीलीभीत

<u>03.01.2018</u>

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त भूरे लाल पुत्र अंगनलाल, निवासी ग्राम खतुउआ बरखन, थाना नबावगंज, जिला बरेली की ओर से उपरोक्त मुकदमें में अपनी जमानत की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्ता दिनांक 29.12.2017 से गैर जमानती वारण्ट पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उपरोक्त मुकदमें में उसे झूंठा एवं फंसाया गया है उसने दहेज की मांग नहीं की गयी है और न ही वादिनी को दहेज के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त वादिनी का देवर है। अभियुक्त दिनांक 29.12.2017 से जेल में निरूद्ध है अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा से दहेज की मांग करने, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, गालियां देने व जान से मारने की धमकी देने। अभियुक्त दिनांक 29.12.2017 से जेल में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाता है। तद्नुसार अभियुक्त भूरे लाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त भूरे लाल की ओर से उपरोक्त मुकदमे में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत मामले में मु0 20,000/रूपये का निजी बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर,पीलीभीत।